लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

संशोधित निर्देश

क्रमांक/विद्या/पी/शुल्क /2011/123 भोपाल, दिनांक 14 मार्च,, 2011

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (संभागीय)
   मध्यप्रदेश।

2. जिला शिक्षा अधिकारी,
   जिला–समस्त (म.प्र.)।

विषय :–शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में लिये जाने वाले स्थानीय शुल्क के संबंध मे संशोधित–निर्देश।

संदर्भ :–1. लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र. क्रमांक--विद्या/पी/2006/1257, दिनांक 3.8.06
2. –"– विद्या/पी/शुल्क/2011/92, दिनांक 4 मार्च, 2011।
3. –"– विद्या/पी/शुल्क/2011/93–94, दिनांक 8 मार्च, 2011।

विषयान्तर्गत विभागीय निर्देशों के पालन में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयो में विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी एवं पाठ्येतर गतिधियों के संचालन हेतु स्थानीय शुल्क लिया जाता है। इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि विद्यालयों में विभिन्न स्थानीय शुल्क नियम विपरीत वसूल की जा रही है।

प्रदेश की शालाओं में शुल्कों की एकरूपता बनाये रखने के लिए विभागीय निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार स्थानीय शुल्क लेने हेतु पूर्व से निर्देश है जिसके संबंध में संदर्भित पत्र 1 एवं 2 द्वारा अवगत कराया गया था।

2. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प्र.स/स्कू.शि./आर.टी.ई/2010/84 भोपाल, दिनांक 10.03.2010 द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा (1 से 8 तक) के छात्र–छात्राओं से कोई भी फीस अथवा शुल्क लेने संबंधी समस्त निर्देश निरस्त/निष्प्रभावी घोषित किये गये है।

3. अतः बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लिखित शासन निर्देश के अनुक्रम में संदर्भित पत्र 1 एवं 2 द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों के संकलित विवरण में से मिडिल स्कूलों के शुल्क एवं क्रीड़ा पंजीयन संबंधी निर्देश विलोपित माने जायेगे।

संशोधित विवरण निम्नानुसार होगा :–

स. क्र	शुल्क का विवरण	हाई रूपये	2 उ.मा. विद्यालय रूपये	शासनादेश
1	विज्ञान शुल्क	30.00 प्रतिवर्ष	50.00 प्रतिवर्ष	म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश – (1)क्र./एफ–73/6/95/20–2, भोपाल, दिनांक 21.12.95 (2) क्रं 44/34/85/बी–2/20, भोपाल, दिनांक 27.2.89
2	क्रीड़ा शुल्क	60 प्रतिवर्ष	100 प्रतिवर्ष	क्र/एफ–27–70/2010/बीस–2, भोपाल, दिनांक 12.07.10
3	स्काउट/गाईड	10.00 प्रतिवर्ष	10.00 प्रतिवर्ष	क्रएफ–73–143/95/ई–5/20, भोपाल, दिनांक 27.12.95
4	रेडक्रास	20.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	क्र./एफ–73–11/99/20–2 भोपाल, दिनांक 26.11.99
5	क्रियाकलाप	20.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	क्र./एफ–73/6/95/20–2 भोपाल, दिनांक 21.12.95

उक्त विवरण अनुसार राशियों का शाला, विकासखंड,जिला, संभाग एवं राज्यस्तर पर वितरण पूर्वानुसार इस प्रकार रहेगा :–

स.क्र	शुल्क का विवरण	शाला	विकासखण्ड	जिला	संभाग	राज्य
1	विज्ञान शुल्क	100 प्रतिशत	–	–	–	–
2	क्रीड़ा शुल्क	45 प्रतिशत	–	40 प्रतिशत	15 प्रतिशत	–
3	स्काउट/गाईड	95 प्रतिशत	–	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	3 प्रतिशत
4	रेडक्रास	70 प्रतिशत	–	10 प्रतिशत जूनियर रेडक्रास	–	20 प्रतिशत
5	क्रियाकलाप	100 प्रतिशत	–	–	–	–

टीप :–

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा स्थानीय परीक्षाओं के लिए शुल्क के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

(डॉ. अवध किशोर मिश्रा)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/विद्या/पी/शुल्क /2011/124 भोपाल, दिनांक 14 मार्च, ,2011

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश./आदिवासी विकास, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश